(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2218–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–05–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा, जिला–राजगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 66/अ–27/2013–14

.....

1– चन्दरसिंह पिता बापुलाल
2– पर्वतसिंह पिता बापुलाल
सर्व निवासी–ग्राम शाहपुरा तहसील ब्यावरा
जिला–राजगढ़, म0प्र0

.....आवेद्रकगण

विरूद्ध

कनीराम पिता बापुलाल
निवासी– ग्राम शाहपुरा तहसील ब्यावरा
जिला–राजगढ़, म0प्र0 ..... अनावेदक

.....

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/8/2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा, जिला–राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कनीराम ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण कमांक 10/अ–27/06–07 में

पारित आदेश दिनांक 18–1–2007 से किये गये बंटवारे की जानकारी दिनांक से अपील अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा जिला राजगढ के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 6–5–15 को उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुनने के पश्चात अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 6–5–15 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकों के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदकगण एवं अनावेदक तीनों सगे भाई है तथा तीनों ने तहसीलदार के समक्ष बंटवारा आवेदन दिनांक 01–12–06 को संयुक्त रूप से आवेदन पर अंगुठा लगाकर प्रस्तुत किया था। प्रोसोडिंग आदेश पत्रिका दिनांक 31–12–06, 5–1–07 एवं 16–1–07 को अनावेदक उपस्थित था क्योंकि उक्त आदेश पत्रिका पर उसके अंगुठा निशानी अंकित है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि अनावेदक को तहसीलदार के आदेश दिनांक 18–1–2007 की जानकारी दिनांक 14–9–14 को 7 साल बाद हुई। अनुविभागीय अधिकारी उक्त तथ्यों के बावजूद भी अनावेदक की समयबाधित अपील को समय–सीमा में मानने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि अनुविभागीय अधिकारी ने अब अंतिम आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील आवेदकों द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर दी है, जो लंबित है।

4/ आवेदकों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया। अनावेदक ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 18–1–2007 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 6–5–15 के द्वारा विलम्ब को क्षमा कर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में अब अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तत की जा चुकी है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध दो भिन्न भिन्न न्यायालयों में अपील एवं निगरानी प्रचलित है। आवेदक दो न्यायालयों में एकसाथ कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त करना चाहता है, जो उचित नहीं है। जब अंतिम आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील पेश की जा चुकी है अतः अब अंतरिम आदेश के विरूद्ध इस निगरानी को ग्राह्य करने का कोई औचित्य नहीं होने से निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर